पंचायत आम चुनाव, 2016

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

निविदा सूचना

आगामी पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के निमित्त प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से लगभग 4,00,000 (चार लाख) प्लास्टिक वोटिंग स्टाम्प स्टिक (Plastic voting stamp stick) की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 14.10.2015 को अपराह्न 1.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 4.30 बजे सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी के लिए आयोग के वेबसाईट sec.bih.nic.in एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

2. वोटिंग स्टाम्प की विशिष्टियाँ निम्नवती होगी:–

(1) वोटिंग स्टिक HDPE (High Density Polyethene) से बना प्लास्टिक स्टिक होगा।
(2) प्लास्टिक का रंग सफेद होगा।
(3) स्टिक की लंबाई 85 एम.एम., चौड़ाई 12 एम.एम. तथा ऊँचाई 12 एम.एम., होगी।
(4) स्टिक के दोनों छोरों पर 11एम.एम. X 11एम.एम. का ⊕ चिन्ह का कम्यूटराइज्ड लोगों उभार सहित खुदा हुआ (engraved) रहेगा।
(5) निविदा द्विलिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) के अनुसार प्राप्त की जाएगी।

3. तकनीकी शर्त्त निम्न है :–

(i) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 40,000/– (चालीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के नाम से जमा करना होगा।

(ii) फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) में एवं आयकर में (PAN NO) निबंधित होने के साथ–साथ अद्यतन कर शोधन प्रमाण–पत्र देना होगा। साथ ही पिछले तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।

(iii) निविदा में सफल निविदादाता को कार्यदेश के 15 दिनों के अन्दर पटना में कार्यालय स्थापित किये जाने का undertaking देना होगा।

(iv) फर्म किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई हो, इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा।

(v) उक्त प्रकृति का कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें (यदि कोई हो)।

(vi) सामग्री की आपूर्ति में विलंब होने पर 1000.00 (एक हजार) रूपये प्रति दिन की दर से कटौती की जाएगी।

(vii) सामग्रियों को स्थल पर आपूर्ति के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं है।

(viii) आवश्यकतानुसार आयोग आपूर्ति की उक्त संख्या में परिवर्तन कर सकता है।

4. वित्तीय शर्त्त निम्न है :–

(i) प्लास्टिक वोटिंग स्टाम्प स्टिाक (Plastic voting stamp stick) की दर अंक एवं शब्द दोनों में सभी करों सहित अंकित करना है।

5 इच्छुक सभी निविदाकर्ता वोटिंग स्टिक का नमूना आयोग कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

6. निविदा दिनांक 14.10.2015 को ही 4.30 बजे अपराहन में सचिव के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847. E-mail: secbihar@gmail.com

7. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोली जायेगी। दर के संबंध में निगोशियेशन भी किया जा सकता है।

8. चयनित फर्म को आपूर्ति आदेश के 30 दिनों के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा उनके आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया जाएगा तथा कार्य समय पर पूरा नहीं करने के एवज में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी स्टिक लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, रंग एवं मेटेरियल में आयोग के नमूने के अनुरूप होने चाहिए। आयोग द्वारा अनुमादित नमूने से भिन्न तथा खराब गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति की जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

9. राज्य निर्वाचन आयोग को किसी भी निविदा तथा सभी निविदाओं को बिना करण बताए रद्द करने का अधिकार है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के आदेश से

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।